(14)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर,केम्प,भोपाल

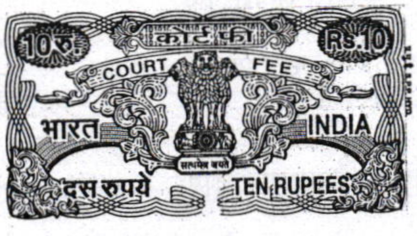

बदन सिंह तोमर आयु लगभग 75 वर्ष PBR/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2017/3240
आ चन्द्रपाल सिंह तोमर निवासी ग्राम कान्दई खुर्द,
तहसील इटारसी,जिला होशंगाबाद.................................पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत दमदम द्वारा
स्रपंच श्रीमती माया बडकुर, ग्राम पंचायत दमदम,
तहसील इटारसी,जिला होशंगाबाद

श्री [illegible] Adv. द्वारा आज दि. 8/9/17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 8/9/17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

2. राजेन्द्र सिंह सोलंकी आ. तेज सिंह सोलंकी
निवासी ग्राम कान्दई खुर्द,
तहसील इटारसी,जिला होशंगाबाद ..............................उत्तरवादीगण

## पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.।

न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय,होशंगाबाद के प्रकरण कमांक–3अ–6/अपील वर्ष 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 21.08.2017 के विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका। कलेक्टर महोदय के समक्ष अ.वि.अ. के प्रकरण क्रमांक 68/68 वर्ष 2014-15 में पारित आदेश दिनांक 13/7/16 के विरुद्ध याचिका की गई थी

संक्षिप्त तथ्य

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी / होशंगाबाद / भू.रा. / 2017 / 3240

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 5–12–2017 | आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । कलेक्टर के आदेश दिनांक 21–8–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । कलेक्टर द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा गया है कि अनावेदक कमांक 2 को पक्षकार बनाने से प्रकरण के निराकरण में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, बल्कि प्रकरण के निराकरण में सहयोग प्राप्त होगा । यदि अनावेदक कमांक 2 प्रकरण के निराकरण में बाधा उत्पन्न करता है तो आवेदक अपना पक्ष अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, जिसके निराकरण के लिए अनुविभागीय अधिकारी सक्षम है । कलेक्टर द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।<br><br>(मनोज गोयल)<br>अध्यक्ष | |